Office of Chief Engineer Commercial Unit		U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel. No.- 0522-2288056/2287030 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org cecommercialunl@gmail.com

पत्रांक – 597/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0 दिनांक : 23, दिसम्बर, 2021

मुख्य अभियन्ता (परियोजना समन्वयक),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज, जवाहरपुर
सोनभद्र, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, एटा।

मुख्य प्रबन्धक (वित्त प्रबन्धन इकाई)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
7वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : मा0 विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए घोषित विद्युत रेट् शिड्यूल दिनांक 07.08.2021 से लागू करने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु घोषित टैरिफ आदेश दिनांक 29.07.2021, मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0) उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय के पत्र सं0 279/आर0ए0यू0/टैरिफ आदेश/वर्ष 2021–22 दिनांक 30.07.2021, अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 एवं समस्त डिस्काम की "सार्वजनिक सूचना" दिनांक 31.07.2021 तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 के "आवश्यक सूचना" पत्रांक 340/एचसी/टैरिफ/2020–21, दिनांक 18.08.2021 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु रेट शिड्यूल वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 07.08.2021 से लागू कर दिए गये हैं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के उपरोक्त आदेशों को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न हुई 179वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10, दिनांक 01, फरवरी, 2019 के तथा Electricity Act -2003 के The Electricity (Removal of difficulty) Fourth Order, 2005 के अनुपालन में उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस तथा परियोजना कालोनी परिसर में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु पूर्व में किये गये ऐसे आदेशों की समानता में दिनांक **07.08.2021** से लागू किया जाता हैं।

कृपया तदानुसार उ0नि0लि0 के सेवारत कार्मिकों के वेतन से प्रति माह विद्युत शुल्क की कटौती सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस एवं परियोजना के आवासीय परिसर के भीतर रह रहे गैर विभागीय विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क नियमानुसार जमा कराने का कष्ट करें।

ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस जो विद्युत शुल्क सीधे उ0प्र0पा0का0लि0/सम्बन्धित डिस्काम में जमा करना चाहते हैं, वह सम्बन्धित वितरण खण्डों मे भी अपने निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर सकते हैं।

संलग्नकः–यथोपरोक्त।

(रवीन्द्र कुमार वाही)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक – 597/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0 दिनांक : 23, दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्याचंल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखन मेरठ/केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

Office of Chief Engineer **Commercial Unit**	UP RVUN	**U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.** **14th floor, Shakti Bhawan Extn.** **Lucknow-226001** **Tel. No.- 0522-2288056/2287030** **CIN :U40101UP1980SGC005065** **E-mail: gm.commercial@uprvunl.org** **cecommercialunl@gmail.com**

पत्रांक – 597 / उनिलि / मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0 दिनांक : 23, दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

5. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन / ईंधन / आर0 एण्ड एम0 / पी0पी0एम0एम0 / पर्या0 एवं सुरक्षा / जानपद– नव परि0 / मानव संसाधन / प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नकों सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (उ0प्र0पा0का0लि0 / समस्त डिस्काम)।

(रवीन्द्र कुमार वाही)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

12. APPLICABILITY OF THE ORDER

The State owned Discoms / Licensees, in accordance with Regulation 5.10 of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution & Transmission) Regulations, 2019, shall publish the Tariff approved by the Commission in at least two (2) English and two (2) Hindi daily newspapers having wide circulation in the area of supply and shall put up the approved Tariff on its internet website.

The Tariff so published shall be in force after seven days from the date of such publication of the Tariffs and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein. The Commission may issue clarification / corrigendum / addendum to this Order as it deems fit from time to time with the reasons to be recorded in writing.

(Vinod Kumar Srivastava) Member (Law)	(Kaushal Kishore Sharma) Member	(Raj Pratap Singh) Chairman

Place: Lucknow

Date: July 29, 2021

SANJAY KUMAR SINGH

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINGH
Date: 2021.07.29 13:24:39 +05'30'

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

Regulatory Affairs Unit
15th Floor, Shakti Bhawan Extension,
14-Ashok Marg, Lucknow 226001.
Phone: (0522) 2286519
Email: arrtariffuppcl@gmail.com
Fax : (0522) 2287860

रेगुलेटरी अफेयर्स इकाई
15वॉं तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
दूरभाष : (0522) 2286519
Email: arrtariffuppcl@gmail.com
फैक्स : (0522) 2287860

पत्र संख्या : 279 /आर0ए0यू0/टैरिफ आदेश वर्ष 2021–22 दिनांक 30 जुलाई, 2021

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

628
31/7/2021

विषयः– मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2019–20 के ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 की ए0पी0आर0 तथा वर्ष 2021–22 के सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत ही हैं कि मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश दिनांक 29.07.2021 द्वारा समस्त वितरण निगमों हेतु वर्ष 2019–20 के ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 की ए0पी0आर0 तथा वर्ष 2021–22 के सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ का अनुमोदन कर दिया है। मा0 आयोग के निर्देशानुसार विभिन्न उपभोक्ता श्रेणी हेतु अनुमोदित दरों की सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.07.2021 के प्रकाशनार्थ जन–सम्पर्क अधिकारी को प्रेषित की जा चुकी है, जो प्रकाशन के 07 दिनों के पश्चात् (07.08.2021 से) लागू हो जायेगी। अनुमोदित टैरिफ आदेश मा0 आयोग की वेब–साइट पर उपलब्ध है।

अतः आपको सार्वजनिक सूचना (प्रति संलग्न) एवं मा0 आयोग के टैरिफ आदेश (ई–मेल के माध्यम से प्रेषित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया टैरिफ आदेश को लागू करवाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथापरोक्त।

(नीरज अग्रवाल)
मुख्य अभियंता (आर0ए0यू0)

पत्र संख्या : /आर0ए0यू0/टैरिफ आदेश वर्ष 2021–22 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः

1. निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 6वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (आई0टी0)/अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0) को सूचनार्थ एवं टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2021–22 को आई0टी0 प्रणाली में लागू करने हेतु प्रेषित।

(नीरज अग्रवाल)
मुख्य अभियंता (आर0ए0यू0)

SE (C-1)

2736
31/7/2021

(ई0 सन्तोष कुमार ...)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य ...)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार की वितरण अनुज्ञप्तिधारियों यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा मा0 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021–22 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव मा0 आयोग के समक्ष दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। मा0 आयोग द्वारा उक्त याचिकायें आदेश दिनांक 08.04.2021 द्वारा स्वीकार कर ली गयी।

मा0 आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वर्ष 2020–21 का ए0पी0आर0 एवं वर्ष 2021–22 का सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव पर दिनांक 29.07.2021 को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

मा0 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु अनुमोदित टैरिफ निम्नवत सूचित किये जाते है :–

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर वि0व0 (2021–22)
एल0एम0वी0–1	घरेलू बत्ती, पंखा	
	क–ग्रामीण आपूर्ति	
	(1)लाइफ लाइन उपभोक्ताः संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0–100 यूनिट)	रू0 3.00 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	सभी भार	रू0 500 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(3) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 100 यूनिट / प्रति माह तक	रू0 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट / प्रति माह तक	रू0 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट / प्रति माह तक	रू0 5.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट / प्रति माह तक	रू0 5.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट / माह से अधिक	रू0 6.00 प्रति यूनिट
	ख–सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.00 प्रति यूनिट
	ग–अन्य मीटर सहित संयोजन	
	(1) लाइफ लाइन उपभोक्ताः संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0–100 यूनिट)	रू0 3.00 प्रति यूनिट

	(2) अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 150 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 6.00 प्रति यूनिट
	301 से 500 यूनिट/प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट
	500 यूनिट/प्रति माह से अधिक	रू0 7.00 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0–2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा	
	क–ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 1000 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 5.50 प्रति यूनिट
	ख–निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स	
	मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	–
	इनर्जी चार्ज	रू0 18.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 1800 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	ग–अन्य मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	
	2 कि0वा0 तक	रू0 330 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	2 से 4 कि0वा0 तक	रू0 390 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	4 कि0वा0 से अधिक	रू0 450 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 300 यूनिट/माह	रू0 7.50 प्रति यूनिट
	301 से 1000 यूनिट/माह	रू0 8.40 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट/माह से अधिक	रू0 8.75 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 600/कि0वा0/माह (अप्रैल से सितम्बर)
		रू0 475/कि0वा0/माह (अक्टूबर से मार्च)
एल0एम0वी0–3	सार्वजनिक प्रकाश	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	ग्राम पंचायत	रू0 2100 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 3200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	नगर निगम	रू0 4200 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	
	ग्राम पंचायत	रू0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह

	नगर निगम	रू0 250 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	ग्राम पंचायत	रू0 7.50 प्रति यूनिट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रू0 8.00 प्रति यूनिट
	नगर निगम	रू0 8.50 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	18:00 से 06:00 बजे तक	0%
	06:00 से 18:00 बजे तक	(+)20%
एल0एम0वी0–4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाऐं	
	अ–सार्वजनिक संस्थाऐं	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 300 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रू0 8.25 प्रति यूनिट
	1001–2000 यूनिट प्रति माह	रू0 8.50 प्रति यूनिट
	2000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रू0 8.75 प्रति यूनिट
	ब–निजी संस्थाऐं	
	फिक्स्ड चार्ज	
	3 कि0वा0 तक	रू0 350 प्रति कि0वा0प्रति माह
	3 कि0वा0 से अधिक	रू0 400 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	प्रथम 1000 यूनिट प्रति माह	रू0 9.00 प्रति यूनिट
	1000 यूनिट प्रति माह से अधिक	रू0 9.30 प्रति यूनिट
एल0एम0वी0–5	निजी नलकूप	
	क–ग्रामीण आपूर्ति	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 170 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 2.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(3) इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 1.65 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 140 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	ख–शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा मे स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नही हो जाता है, न्यूनतम राशि रू0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।	

एल0एम0वी0–6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
	क–शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 290 प्रति कि0वा0प्रति मा ह
	इनर्जी चार्ज	
	1000 यूनिट/माह तक	रू0 7.30 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह तक	रू0 7.40 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	2000 यूनिट/माह से अधिक	रू0 7.90 प्रति यूनिट समस्त उपभोग पर
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियो हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
	ख–ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओ को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।
एल0एम0वी0–7	जलकल	
	क–शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 375 प्रति कि0वा0प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.60 प्रति यूनिट
	ख–ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।
एल0एम0वी0–8	राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप तथा पम्प कैनाल	
	(1) मीटर सहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 330 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.50 प्रति यूनिट
	(2) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 3300 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह

एल0एम0वी0–9	अस्थायी संयोजन	
	(1) मीटर रहित संयोजन	
	फिक्स्ड चार्ज क. सार्वजनिक प्रकाश, उद्घोषणा एवं समारोह (भार 20कि.वा. प्रति संयोजन तक एवं रू0 100 / कि0वा0 / दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए)	रू0 4750 प्रति दिन
	ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलों / त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. भार तक)	रू0 560 प्रति दिन प्रति दुकान
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको विद्युत की आवश्यकता रबी फसल के लिये है (माह नवम्बर से माह फरवरी तक)	रू0 500 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन	
	(1) व्यक्तिगत आवासीय निर्माण हेतु	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 200 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 8.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 300 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 9.00 प्रति यूनिट, तृतीय वर्ष से आगे के लिए वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	रू0 450 प्रति कि0वा0 / सप्ताह
एल0एम0वी0–10	विभागीय उपभोक्ता	
	इस श्रेणी की दरें एल0एम0वी0–1 के अन्य मीटर्ड उपभोक्ताओं की भांति होगी।	
एल0एम0वी0–11	इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्जिंग	
	1. घरेलू उपभोक्ता	
	एल0एम0वी0–1 से आच्छादित सभी मीटर्ड घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकिल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, बषर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के कारण जुड़े / अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
	2. बहुमंजिला इमारत (एल0एम0वी0–1बी एवं एच0वी0–1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)	
	एल. एम. वी– 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– रू0 6.20 प्रति यूनिट
	एच. वी. – 1 बी.	डिमाण्ड चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– रू0 5.90 प्रति यूनिट

	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेषन	
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेषन (एल. टी.)	डिमाण्ड चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– रू0 7.70 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेषन (एच. टी.)	डिमाण्ड चार्ज–शून्य, इनर्जी चार्ज–रू0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ. डी. के साथ।
	4. अन्य उपभोक्ता	
	अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एल0एम0वी0–2 (ए) मीटर्ड, एल0एम0वी0–2 (सी), एल0एम0वी0–4, एल0एम0वी0–6, एल0एम0वी0–7, एल0एम0वी0–8 (मीटर्ड), एल0एम0वी0–9(मीटर्ड), एच0वी0–1, (एल0एम0वी0–1बी एवं एच0वी0–1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत बहुमंजिला इमारतों को छोड़कर) एच0वी0–2, एच0वी0–3 और एच0वी0–4) से उनकी सम्बन्धित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते है, बषर्ते इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के भार के कारण जुड़े/अनुबन्धित भार का उल्लंघन न होता हो।	
एच0वी0–1	उद्योग रहित बल्क लोड	
	(क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 430 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	
	प्रथम 2500 के0वी0ए0एच0 / माह	रू0 8.32 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के0वी0ए0एच0/माह से अधिक पर	रू0 8.68 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 400 प्रति केवीए प्रति माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 8.12 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 8.48 प्रति के.वी.ए.एच
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)	
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 380/के.वी.ए./माह
	पर इनर्जी चार्ज -आपूर्ति 11 के.वी	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 7.90 प्रति के.वी.ए.एच
	डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	रू0 360/के.वी.ए./माह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक पर	
	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 7.50 प्रति के.वी.ए.एच.
	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच.

एच0वी0–2	बड़े एवं भारी उद्योग	
	क–शहरी आपूर्ति	
	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.80 प्रति के.वी.ए.एच.
	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.40 प्रति के.वी.ए.एच.
	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.10 प्रति के.वी.ए.एच.
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियो हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
	ख–ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओ को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।
एच0वी0–3	रेलवे ट्रेक्शन	
	(क) रेलवे ट्रेक्शन	
	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. पर, कम एवं अधिक विभव पर	रू0 400 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक	रू0 8.50 प्रति केवीएएच
	आपूर्ति 132 के.वी. से कम	रू0 8.80 प्रति केवीएएच

	न्यूनतम चार्ज	रू0 950 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
	(ख) मेट्रो रेल	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.30 प्रति केवीएएच
	न्यूनतम चार्ज	रू0 900 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
	संविदा भार से अधिक उपभोग पर रू0 540/के.वी.ए./माह की दर से जुर्माना लिया जायेगा।	
एच0वी0–4	लिफ्ट इरीगेशन	
(क)	डिमान्ड चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 350 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 340 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 330 प्रति के.वी.ए. प्रति म्ाह
(ख)	इनर्जी चार्ज	
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	रू0 8.50 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 11 के.वी. से अधिक तथा 66 के.वी. तक	रू0 8.40 प्रति के.वी.ए.एच
	आपूर्ति 66 के.वी. से अधिक 132 के.वी. तक	रू0 8.25 प्रति के.वी.ए.एच
(ग)	न्यूनतम चार्ज	रू0 1125 प्रति के.वी.ए. प्रति माह

टिप्पणी: उ0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: 812/24–1–21–1307/2020 दिनांक 12.05.2021 द्वारा प्रेषित एल0एम0वी0–5 ग्रामीण मीटर्ड श्रेणी के उपभोक्ताओं की बिलिंग अनमीटर्ड श्रेणी हेतु अनुमोदित दरों पर किये जाने के प्रस्ताव को उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तथापि अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की मीटरिंग, ऊर्जा लेखा के उद्देश्य से एवं उ0प्र0 सरकार की अतिरिक्त साहायिकी के आगणन हेतु की जायेगी।

मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित उक्त दरें एवं चार्जेज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से उ0प्र0 सरकार की सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों में स्वतः लागू हो जाएगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें एवं चार्जेज समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट (www.mvvnl.in,www.dvvnl.org, www.puvvnl.up.nic.in, www.pvvnl.org, www. kesco.co.in) तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट (www.uppcl.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष

मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

पत्रांकः–340 /एच0सी0/टैरिफ/2021–22 | दिनांकः अगस्त, 18 2021

आवश्यक सूचना

उ0प्र0 विद्युत सुधार अधिनियम 1999 की धारा–24 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–61 एवं 62 के अधीन शक्तियों एवं इस सम्बन्ध में अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके इस विषय पर पूर्व में पारित समस्त आदेशों/अधिसूचना द्वारा निर्गत अनुदेशों द्वारा निर्गत अनुदेशों का अतिक्रमण करके उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेशों के अनुरूप उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सर्व साधारण एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/समस्त वितरण कम्पनियों के, अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा के लिए दिनांक 07.08.2021 से लागू रेट शिड्यल की यह पुस्तिका छपावाई गई है। रेट शिड्यूल की इस पुस्तिका को छपवाने में यद्यपि यथासम्भव सावधानी रखी गई है फिर भी इस पुस्तिका एवं मा0 नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो उस स्थिति में मा0 नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश ही मान्य होगा। टैरिफ ओदश के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण निर्गत करने का अधिकार मात्र उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग को है।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक